दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 23-07-2025

पेंशन पर भुगतान होगा।

युक्तियुक्तकरण: सीनियर को हटा जूनियर की पोस्टिंग, फैसला सुरक्षित

याचिका में कहा- नियमों के खिलाफ घोषित किया अतिशेष

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

सीनियर को हटाकर जूनियर को पदस्थ करने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। शिक्षिका ने अपनी याचिका में कहा है कि उनका नियमों के खिलाफ अतिशेष घोषित करते हुए तबादला किया गया है, जबकि उनकी जगह जूनियर को पदस्थ किया गया है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अचोली बेमेतरा में व्याख्याता (अंग्रेजी) के पर पर कार्यरत रहीं सरोज सिंह ने एडवोकेट अनादि शर्मा के जरिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, इसमें बताया कि उनका नियमों के खिलाफ अतिशेष घोषित कर तबादला कर दिया गया, जबकि नवनियुक्त अनुपमा सारंगी को उसी स्कूल में पदस्थ किया गया, यह पूरी तरह अनुचित है। बताया कि वे वर्ष 2018 से कार्यरत हैं, जबकि अनुपमा सारंगी की नियुक्ति 2025 में हुई है। याचिका में तर्क दिया कि यह युक्तियुक्तकरण नीति और संविधान के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही कहा कि हाई कोर्ट के पुराने आदेश की भी अवहेलना की गई, जिसमें युक्तियुक्तकरण समिति के समक्ष अभ्यावेदन और तब तक स्थानांतरण पर रोक के निर्देश दिए गए थे। लेकिन डीईओ ने आदेश पारित कर दिया, जो कि खुद ही सूची जारी करने वाले अधिकारी हैं।